संख्या-258/2023/आई/294012/001- 41-1002-001-1-2021-Part-3

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 27 मार्च, 2023

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषदए मथुरा में कार्यरत पर्यावरण सलाहकार, ब्रज संस्कृति सलाहकार, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन तथा मै0 डिजाइन एसोसिएट्स इंक, नोएडा द्वारा तैयार करायी जा रही ब्रज डेवलपमेन्ट योजना के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-8282/6-1-1/(155-I) /ब्र0ती0वि0प0/2022-23, दिनांक 03.02.2023 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) हो रही संभावित बचत रू0 11.00 लाख, मद 17-उ0प्र0 विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, मिर्जापुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में वर्तमान में रू0 100.00 लाख एवं मद संख्या-18-उ0प्र0 श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट -31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में रू0 100.00 लाख की संकलित बचत रू0 211.00 लाख को लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-13-उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-उ0प्र0 विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, मिर्जापुर-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद से रू0 100.00 लाख एवं मद संख्या-18-उ0प्र0 श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद से रू0 100.00 लाख अर्थात कुल धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रू0 200.00 लाख को अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-13-उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022**,** दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022**,** दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार**,** प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 044 **लेखा शीर्षक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3452808001300 उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0 मथुरा द्वारा उप निदेशक, पर्यटन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0 मथुरा द्वारा उप निदेशक, पर्यटन।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ द्वारा उप निदेशक, पर्यटन ।
6. उप निदेशक, पर्यटन (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय द्वारा उप निदेशक, पर्यटन ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा द्वारा उप निदेशक, पर्यटन ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20222023-41-1002-002-2-2021-3-3

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषदए मथुरा में कार्यरत पर्यावरण सलाहकार, ब्रज संस्कृति सलाहकार, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन तथा मै0 डिजाइन एसोसिएट्स इंक, नोएडा द्वारा तैयार करायी जा रही ब्रज डेवलपमेन्ट योजना के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808001700 (उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, मिर्जापुर)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	2022-2023
044	3452808001800 (उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	2022-2023
कुल					₹ 2,00,00,000	₹ 2,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808001300 (उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 2,00,00,000	₹ 2,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

नोट- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 मैन्युअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-607-E-7-489-X-2022-23-दिनांक:24-03-2023

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश।

Signed by संजीव कुमार श्रीवास्तव
संजीव कुमार श्रीवास्तव,
Date: 27-03-2023 13:17:09
अन् सचिव।
Reason: Approved

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव।

संख्या-850/2023/आई/294012 /001-41-1002-001-1-2021-Part-3-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0 मथुरा द्वारा उप निदेशक, पर्यटन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उ0 प्र0 मथुरा द्वारा उप निदेशक, पर्यटन।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ द्वारा उप निदेशक, पर्यटन ।
6. उप निदेशक, पर्यटन (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय द्वारा उप निदेशक, पर्यटन ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा द्वारा उप निदेशक, पर्यटन।

8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।